

3/यो0सं०-50/2023

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग 12

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या/2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -...13.04.2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा संचालित आसरा गृह (मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए) योजना हेतु राज्य स्कीम मद में रू० 193.70 लाख (एक करोड़ तिरानवे लाख सत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याणार्थ आसरा गृह का संचालन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मूल उदव्यय के रूप में कुल रू० 193.70 लाख (एक करोड़ तिरानवे लाख सत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू.लाख में)

क्र 0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	आसरा गृह (मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं का कल्याण)	(51-2235021010122)	0122.21.01, 28.02	193.70
योग: (रू० एक करोड़ तिरानवे लाख सत्तर हजार)				193.70

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0सं०-50/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-12/टि० पर दिनांक-10.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0संक०-50/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-10/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


विश्वासभाजन


(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-50/2023/.....12...../ दिनांक- 13.04.2026


प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/उप सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-50/2023/.....12...../ दिनांक- 13.04.2026


प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन कोषागार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-50/2023/.....12...../ दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

